संख्याः 1325 / XXVIII-I / 20–01(19)2020

प्रेषक

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांकः 02 सितम्बर, 2020

विषयः– प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 के उपचार हेतु लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा, निजी चिकित्सालयों में किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1247 / XXVIII-1 / 20–01(19)2020 दिनांक 21 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश संख्या 190 / पीएस.स.(प्र.) / 2020 दिनांक 01 सितम्बर, 2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा डा0 विनोद पाल, सदस्य नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी संस्तुति माह जून के द्वितीय पखवाड़े में प्रस्तुत की है। डा0 विनोद पाल समिति द्वारा, निजी चिकित्सालयों के द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु निम्नलिखित दरें निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी है :–

Hospital Rates for per day of admission(in Rs.)			
Category of Hospital	**Moderate Sickness**	**Severe Sickness**	**Very severe sickness**
	ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with ventilator care(invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (including cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (including cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (including cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	8,000/- (including cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (including cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (including cost of PPE Rs. 2000/-)

2– उपरोक्त प्राप्त संस्तुतियों के कम में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में किये गये विचार विमर्श के कम में सम्यक विचारोपरान्त राज्य के निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 के मरीजों के उपचार हेतु उपर्युक्त दरों के सापेक्ष 80 प्रतिशत उपचार शुल्क के रूप में दर निर्धारित किया जाता है।

3– उक्त दरें निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू होंगी :–

- सभी रोगियों का उपचार भारत सरकार / आई0सी0एम0आर0 के दिशा निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
- निजी अस्पतालों की चिकित्सा दरों के पैकेज में सभी सुविधाएं यथा बिस्तर, भोजन और अन्य सुविधाएं, निगरानी, नर्सिंग देखभाल, डाक्टरों के दौरे / परामर्श, इमेजिंग सहित जांच, कोविड देखभाल के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार और सह–रूग्णता, आक्सीजन के लिए मानक देखभाल, रक्त आधान आदि शामिल होंगी।

- कोविड के कई रोगियों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय सम्बन्धी समस्याएं आदि जैसे स्थितियां है, ऐसे सह–रूग्णता की चिकित्सा देखभाल के लिए शुल्क पैकेज का एक हिस्सा होगा।
- अत्यन्त गंभीर अवस्था के कोविड–19 के मरीजों के उपयोग होने वाली दवाएं यथा Favipiravir, Remdesivir, Tocilizumab आदि हेतु उक्त दरों के अतिरिक्त वास्तविक दर पर ही पृथक से चिकित्सालयों द्वारा लिया जा सकेगा।
- निर्धारित पैकेज दरों पर सेवा प्राप्त करने वाले रोगियों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा।
- उक्त अस्पतालों को 25 प्रतिशत बेड सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियो तथा आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान के मरीजों (जो अस्पताल उस योजना में पंजीकृत हो) के लिए आरक्षित करना होगा। इन बैडों के लिए सी0जी0एच0एस0/आयुष्मान भारत की दर पर प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- उक्त अस्पतालों द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय स्टाफ के लिए क्वारंटाइन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– कोविड–19 जांच हेतु जांच की दरें शासनादेश संख्या 808 दिनांक 26 जून, 2020 को जारी दिशा–निर्देश यथावत लागू होंगें। जांच दरें उक्त प्रस्तावित दरों मे सम्मिलित नहीं है।

5– सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 के रोगियों के उपचार हेतु MoHFW, भारत सरकार/NHA/ICMR/राज्य सरकार की समस्त गाइडलाइन्स/प्रोटोकॉल तथा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा।

6– यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

7– कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः /XXVIII-1/20–01(19)2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल।
7. आई0डी0एस0पी0, एन0एच0एम0, देहरादून।
8. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उप सचिव।